न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—37 / 2022 (2022 / 91) वाद पत्र

अनवान

1—भागुदेवी पत्नि डालचन्द ब्राह्मण निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1—भैरूलाल पिता भुरालाल लुहार निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2—लादुलाल पिता भुरालाल लुहार निवासी नान्दुड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. हरीश चन्द्र टेलर— अधिवक्ता वादीया
2. सुनिल कुमार जैन— अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः—21.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम नान्दुड़ा पटवार हल्का खाखरमाला तहसील रायपुर की सीमा में प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 432 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 512 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 भूमि राजस्व खाता संख्या 74 पर प्रार्थीया के नाम पर दर्ज होकर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की है। प्रार्थीया की उक्त वर्णित खातेदारी एवं कब्जे की भूमियों में से आराजी संख्या 432 रकबा 0.23 हैक्ट भूमि में से करीबन चार बिस्वा भूमि पर दिनांक 10.02.2022 को बलात आधिपत्य कर उस पर मवैशी बांधने लग गये और प्रार्थीया की उक्त वर्णित भूमि में विपक्षीगण ने निर्माण सामग्री डाल दी और नीवें खोदकर उस पर पक्का निर्माण कार्य चालु कर दिया ताकि मुझ प्रार्थीयां की खातेदारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से मकान बनाने पर आमदा हो गये। गांव से मेरे समाचार आने पर मैंने मेरे पुत्रों को बुलाया और विपक्षीगण को कहा कि आपने यह क्या किया, तो उन्होंने कहा कि अब हम नहीं करेंगे। दो दिन के लिये रूक गये, किन्तु कल दिनांक 03. 03.2022 को विपक्षीगण ने फिर प्रार्थीयां की उक्त खातेदारी की भूमि में निर्माण सामग्री डाल दी और मुझ प्रार्थीयां व मेरे पुत्रों को धमकी दी कि तुम सभी मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, हम तो इस पर निर्माण करेंगे और कब्जा भी नहीं छोड़ेंगे। जिससे मैं प्रार्थीयां वरिष्ठ नागरिक होकर मेरी उम्र 75 वर्ष की हैं और मैं मौके पर विपक्षीगण का मुकाबला नहीं कर सकती हैं। जिस पर प्रार्थीयां विपक्षीगण से भूमि का कब्जा जरिये कब्जेयाबी की डिक्री के प्राप्त करने की अधिकारिणी हूँ। प्रार्थीयां भूमि की खातेदार काश्तकार हैं और विपक्षीगण ने जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीयां की उक्त खातेदारी की भूमि के चार बिस्वा रकबे पर अनाधिकृत रूप से बलात् आधिपत्य कर लिया है जिससे विपक्षीगण प्रार्थीया की भूमि के अतिकमी है। प्रार्थीया विपक्षीगण के विरूद्व कब्जेयापी की डिकी जारी करवा उसकी खातेदारी की भूमि का कब्जा विपक्षीगण से प्राप्त करने की अधिकारिणी है। प्रार्थीया की भूमि पर अतिक्रमण कर उस पर जबरन नींवें खुदवा दी और अब उस पर पक्का निर्माण कर रहे, जिसका उनको कोई अधिकार नही है फिर भी ताकत के बल पर अतिक्रमण कर भूमि पर निर्माण कर रहे है जो गैर कानूनी है। प्रार्थीया [illegible] सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। यदि प्रार्थीया की उक्त वर्णित [illegible] भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन ताकत के बल पर निर्माण कर लिया गया तो प्रार्थीया को अपने कानूनी व जायज [illegible] से वछिंत हो जायेगी जिससे प्रार्थीया को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका आंकलन नकदी [illegible] किया जा सकेगा। अतः प्रार्थीया की सादर प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद के अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की फरमाई जावे कि राजस्व ग्राम नान्दुडा में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 432 रकबा 0.23 है0 भूमि के किसी भी भू भाग पर विपक्षीगण किसी प्रकार का स्थाई व अस्थाई निर्माण न तो स्वंय करे व न ही किसी अन्य से करावे। भूमि को भारग्रहित नही करे। दौराने वाद प्रार्थीया की भूमि पर किसी प्रकार निर्माण कर लिया जावे तो उसे जरिये आदेशात्मक आज्ञा के हटाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.03.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 से 2 की ओर जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

विपक्षी संख्या 1 से 2 की ओर से अपने जवाब में अंकन किया कि वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 74 में अंकित आराजी संख्या 432 व आराजी संख्या 512 प्रार्थीया के नाम दर्ज होना स्वीकार है लेकिन आराजी संख्या 432 रकबा 0.23 हैक्टयर जो सेटलमेन्ट के दौरान नवीन नक्शे मे जिस स्थान पर उक्त आराजी को फीट (तरमीम) की गई, उस स्थान के आंशिक भू भाग पर विपक्षीगण की खातेदारी की साबिक आराजी संख्या 350/6 रकबा 03 बिस्वा भूमि जिस पर विपक्षीगण का बाड़ा काफी वर्षो से बना होकर विपक्षीगण के कब्जे में होकर विपक्षीगण का निर्बाध रूप से आमजन व पक्षकारों की जानकारी मे निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है, जिसके ऊपर प्रार्थीया की वर्तमान आराजी संख्या 432 को फीट कर दी गई, जो सेटलमेन्ट की त्रुटि है, जिसे दुरुस्त करा उक्त आंशिक भू भाग को विपक्षीगण पुनः अपने नाम दर्ज अभिलेख कराने के अधिकारी है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 02 मे अंकित कथन गलत होने से अस्वीकार है। विपक्षीगण की खातेदारी की साबिक आराजी संख्या 350/6 रकबा 03 बिस्वा साबिक नक्शे में जिस स्थान पर फीट है, उस स्थान पर विपक्षीगण का काफी वर्षों से मौके पर बाड़ा बना होकर विपक्षीगण के कब्जे मे होकर विपक्षीगण का निर्बाध रूप से आजमन व पक्षकारो की जानकारी मे निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला जा रहा है, जिसके ऊपर प्रार्थीया की वर्तमान आराजी संख्या 432 को फीट कर दी गई, जो सेटलमेन्ट की त्रुटि है। विपक्षीगण ने प्रार्थीया की आराजी नम्बर 432 पर किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं किया है। विपक्षीगण द्वारा साबिक आराजी संख्या 350/6 रकबा 03 बिस्वा पर साधिकार निर्माण करवाया जा रहा है। प्रार्थनापत्र की चरण संख्या 03 में अंकित कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया विपक्षीगण के विरूद्ध कब्जेयाबी की डिकी प्राप्त करने की कानूनन अधिकारीणी नहीं है। विपक्षीगण द्वारा अपनी खातेदारी की साबिक आराजी संख्या 350/6 रकबा 03 बिस्वा भूमि जो साबिक नक्शे में जिस स्थान पर फीट है, उस स्थान पर विपक्षीगण ने मोके पर काफी वर्षो से बाड़ा बना रखा है और विपक्षीगण उक्त भू भाग पर अपना निर्माण कार्य मौके पर कर रहा है। जिसका उनको कानूनन अधिकार है, जिससे प्रार्थीया विपक्षीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने की अधिकारीणी नहीं है। विपक्षीगण द्वारा अपनी खातेदारी की साबिक आराजी संख्या 350/6 पर निर्माण कार्य साधिकार करवाया जा रहा है, जिसको प्रार्थीया जरिये आदेशात्मक आज्ञा से ध्वस्त करवाने की अधिकारीणी नहीं है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि मामले में लैण्ड होल्डर तहसीलदार रायपुर को आवश्यक पक्षकार है जिनको पक्षकार नही बनाया है। ग्राम नान्दुड़ा में विपक्षीगण व उनकी माता मगनी बेवा भुरा लुहार के खातेदारी की साबिक आराजी संख्या 350/6 रकबा 3 बिस्वा भूमि अन्य आबादियात के साथ स्थित है। विपक्षीगण की साबिक आराजी संख्या 350/6 रकबा 3 बिस्वा [illegible] साबिक नक्शे में जिस स्थान पर फीट थी उसी स्थान पर विपक्षीगण ने मौके [illegible] विपक्षीगण के कब्जे में होकर निर्बाद रूप से आमजन व पक्षकारो की जानकारी में निरन्तर रूप से कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है जिसके उपर प्रार्थीया की वर्तमान आराजी संख्या 432 को फीट कर दी गई जो सेटलमेन्ट की त्रुटी है जिसका लाभ प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्राप्त करने की अधिकारीणी नही है। प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला नही है सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested

के पक्ष में नही है बल्कि तीनो बिन्दु जवाबदाता के पक्ष मे है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मुख्य निवेदन किया कि प्रार्थी आराजी संख्या 432 स्थित है। प्रार्थीय की उम्र 80 वर्ष पुत्र बाहर धन्दा करता है विपक्षीगण द्वारा उक्त आराजी पर आधिपत्य कर निर्माण कार्य चालु कर दिया जो अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। राजस्व नक्शे में कोई त्रुटी नही है फिर भी विपक्षी द्वारा कोई त्रुटी दर्शाते है तो साक्ष्य से प्रमाणित होगा। प्रार्थीया खातेदार, प्रार्थीया का प्रकरण प्रथम दुष्टया प्रमाणित है अगर प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई संभव नही है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि साबिक आराजी संख्या 350 / 6 रकबा 3 बिस्वा भूमि के विपक्षीगण खातेदार है और उसी 3 बिस्वा भूमि पर विपक्षी द्वारा विपक्षी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। विपक्षी की भूमि पर प्रार्थीया के रकबे को तरमीम कर देने की त्रुटी हुई है। प्रार्थीया के द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य की बात कही जा रही है वो बात गलत है जबकि कई वर्षो से साबिक आराजी संख्या 350 / 6 पर विपक्षीगण का बाड़ा बना हुआ है और उसी बाड़े में निर्माण किया जा रहा है। प्रार्थीया के द्वारा दिनांक 10.02.2022 को कब्जा कर निर्माण किया जाने की बात कही गई जो गलत है। निर्माण विपक्षीगण के द्वारा उन्ही की जमीन पर किया जा रहा है। भू प्रबन्ध विभाग की त्रुटी से यह विवाद उत्पन्न हुआ है। मौका स्थिति के अनुसार विपक्षी अपनी जगह काबिज है प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करते हुए उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार किया तो पाया कि प्रार्थीया के नाम नवीन आराजी संख्या 432 रकबा 0.23 है0 एवं आराजी संख्या 512 रकबा 0.15 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.38 है0 भूमि दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षैफल के अनुसार नवीन खसरा नम्बर 432 साबिक आराजी संख्या 350 / 5 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा से दर्ज हुआ है। विपक्षी की साबिक आराजी संख्या 350 / 4 और 350 / 6 से नवीन खसरा नम्बर 431 दर्ज हुआ है। मौके पर विपक्षीगण काबिज होकर निर्माण करना चाह रहे है विपक्षी का मुख्य कथन है कि राजस्व नक्शे में त्रुटी होने ये विवाद उत्पन्न हुआ है। उक्त त्रुटी है या नही का निस्तारण मूलवाद में साक्ष्य व सबुत के आधार पर होना है। तब तक विपक्षीगण के अगर निर्माण कार्य कर लिया जाता है तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी और विचाराधीन वाद के दौरान अगर वादीया के द्वारा भूमि किसी तरह से अन्तरित कर दी जाती है तो विपक्षीगण को भी अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। ऐसी स्थिति में मूलवाद के निस्तारण तक उभयपक्षों द्वारा यथास्थिति बनाये रखी जाना ही उचित होगा।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आंशिक स्वीकार कर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम नान्दुड़ा के आराजी संख्या 432 [illegible] रेकार्ड और मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदे[illegible] के साथ लिखा जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2022.08.31 12:52:17 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को [illegible]कर सुनाया गया।

21/07/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा